/ 72

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक 3717/2016/निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 08-09-2016 पारित द्वारा तहसीलदार खाचरौद जिला उज्जैन प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/2015-16

---

अम्बाराम पिता सेवाजी
निवासी ग्राम भिकमपुर,
तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.
.....आवेदक

विरूद्ध

1. सीताराम पिता बालुजी
2. सुरेश पिता बालुजी
3. जमनाबाई पति बालुजी
4. ग्यारसी बाई पति मांगीलाल
   निवासीगण ग्राम भिकमपुर
   तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.
   .....अनावेदकगण

---

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री विकास चंद्र उपाध्याय, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 08-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम भिकमपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 976, 975, 974, 956, 978/1, 979/2, 977 खाता क्रमांक 307/0.607 कुल किता 7 कुल रकबा 2.76 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार, खाचरौद जिला उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/2015-16 दर्ज कर दिनांक

08-09-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. अधीनस्थ न्यायालय ने जिस वादग्रस्त भूमि के संबंध में रास्ता दिया है, उस भूमि में से कभी भी अनावेदक का रास्ता नहीं रहा है । आवेदक के हंकत खेत के बीच में से नवीन रास्ता दे दिया गया है, जो कि विधान के विपरीत है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है ।
2. प्रकरण में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम रास्ता दिया गया है । विधान में यह प्रावधान है कि धारा 32 के अंतर्गत अगर न्यायालय अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण करना चाहिए, किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया । इस तर्क के समर्थन में 1998 आर.एन. 311 एवं 333, 1979 आर.एन. 299, 2014 आर.एन. 425, 1973 आर.एन. 5 व 19, 1974 आर.एन. 400 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतिम रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया है । यह आदेश प्राथमिक दृष्टि में ही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ 6 के अंतिम पेरा में यह उल्लेख किया है कि पटवारी द्वारा दिनांक 18-04-2015 को स्थल निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इससे स्पष्ट है कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया है, जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पेज के अंतिम पेरा में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उपरोक्त रास्ता एक मात्र सुविधा जनक रास्ता है, इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा के आधार पर जो रास्ता दिया है वह विधान के विपरीत है । सुविधा के आधार पर नवीन रास्ता निर्मित नहीं किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2012 आर.एन. 259, 2013 आर.एन. 369 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।
5. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में लगे प्रोसेडिंग से ही स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधान एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो प्राथमिक दृष्टि में ही निरस्ती योग्य है ।

6. अनावेदक द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 06/05/2016 को प्रस्तुत किया है जो धारा 32 का आवेदन पत्र किस दिनांक को पेश किया इसका कोई उल्लेख नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसेडिंग दिनांक 26/04/2016 की है । इससे स्पष्ट है कि आवेदन प्रस्तुत होने के पहले से ही प्रोसेडिंग लिखी गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, विधान एवं प्रावधानों के विपरीत है तथा अवैधानिक है । इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. अनावेदकगण सीताराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भिकमपुर तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 307/0.607 रकबा 2.76 हेक्टेयर तथा सुरेश के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नंबर 975 रकबा 0.48 हेक्टेयर है । उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करके अनावेदकगण अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते है ।
2. अनावेदकगण को अपनी भूमि सर्वे नंबर 307/0.607 रकबा 2.76 हेक्टेयर तथा सुरेश के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नंबर 975 रकबा 0.48 हेक्टेयर सर्वे नंबर एवं रकबे की कृषि भूमि पर जाने के लिये आवेदक अम्बाराम की कृषि भूमि सर्वे नंबर 978, 979 पर पूर्वजों के समय से रास्ता है । उक्त रास्ते पर जाकर कृषि कार्य करते आ रहे है ।
3. उपरोक्त पुश्तैनी रास्ते को आवेदक अम्बाराम के द्वारा टैक्टर से हंकाई करके फाड़ दिये जाने के कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया है, इस कारण अनावेदकगणों ने अधीनस्थ न्यायालय तके रास्ता खुलवाये जाने हेतु विवरणपूर्ण आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/2015-16 पर दर्ज करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को मौका नक्शा देखकर वादग्रस्त स्थान पर अन्य कृषक एवं आवेदक एवं अनावेदकगण के समक्ष पंचनामा बनाये जाने का आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश के पालन में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पंचनामा बनाया गया जिसमें आवेदक अम्बाराम द्वारा रास्ता फाड़ कर अवरूद्ध किया जाना पाया गया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार खाचरौद जिला उज्जैन को प्रस्तुत की गई जिससे संतुष्ट होकर तहसीलदार ने आवेदक अम्बाराम को अवरूद्ध किया गया अनावेदक को पुश्तैनी रास्ता खुलवाये जाने का आदेश निर्णय दिनांक 08/09/2016 को पारित किया गया । जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक ने असत्य आधार पर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है जो सारहीन होने से निरस्त किये जाने योगय है ।

4. आवेदक अम्बाराम द्वारा अपने निगरानी आवेदन पत्र में वादग्रस्त रास्ते की भूमि के सर्वे नंबर का उल्लेख नहीं किया है, इस कारण भी पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक ने अनावेदकगण का पुश्तैनी रास्ता फाड़ कर खेत में मिला लिया है ताकि रास्ते के निशान समाप्त हो जावे लेकिन आवेदक के खेत के पूर्व एवं पश्चात रास्ते के निशान कायम हैं । निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में अनावेदकगण के आने-जाने का रास्ता आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के अधीन अन्तरिम आदेश पारित रास्ता खोले जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 131–अंतरिम आदेश–स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । चूंकि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः प्रकरण का अन्तिम निराकरण दो माह में करने हेतु तहसीलदार को भेजा जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 08-09-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार भेजा जाता है।

**(मनोज गोयल)**
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर